

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना-800014

ईमेल- ce.pmg-bih@gov.in

संचिका सं०:-ल०ज०सं०(पी०एम०जी०)- कालीकृत-267/2026

दूरभाष-0612-2215035

59 /पटना, दिनांक:- 25/05/2026

आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03/2025-26 के ग्रुप सं०-01 पिपरा मदरसा से श्रीपाथर कैनाल का जीर्णोद्धार कार्य योजना का कार्य संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार, पिता-रामदहिन प्रसाद यादव, ग्राम-पाठक विगहा, पो०-रौनिया, थाना-महकार, जिला-गयाजी, बिहार, पिन कोड-824233 (निबंधन सं०-MWRD1122C2IN2953, श्रेणी-II) को आवंटित होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका के पत्रांक-2819 दिनांक-23.08.2025 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया, जिसके अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने की तिथि 23.08.2025 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 22.08.2026 तक निर्धारित है। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका के पत्रांक-932 दिनांक-06.04.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर के पत्रांक-454 दिनांक-06.04.2026 द्वारा संवेदक को कालीकृत करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर का पत्रांक-739 दिनांक-08.04.2026 द्वारा संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार को कालीकृत करने हेतु प्रस्ताव विहित प्रपत्र में सूचना के साथ अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-551 दिनांक-10.04.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। संवेदक का जबाव अबतक अप्राप्त है, जिससे स्पष्ट है कि इस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिये संवेदक के पास कुछ भी नहीं है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्णित योजना का कार्य बार-बार निदेशित किये जाने, कार्य प्रारंभ करने की निर्धारित तिथि के बीत जाने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने तथा कारण पृच्छा का जबाव अप्राप्त रहने के कारण सम्यक समीक्षोपरांत संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार, पिता-रामदहिन प्रसाद यादव, ग्राम-पाठक विगहा, पो०-रौनिया, थाना-महकार, जिला-गयाजी, बिहार, पिन कोड-824233 (निबंधन सं०-MWRD1122C2IN2953, श्रेणी-II) को बिहार टेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम 11 (क) के उप नियम (ii) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के आदेश ज्ञापांक-154 दिनांक-18.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत अगले 10 वर्षों के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक-

/पटना दिनांक-

प्रतिलिपि-संवेदक श्री वीरेन्द्र कुमार, पिता-रामदहिन प्रसाद यादव, ग्राम-पाठक विगहा, पो०-रौनिया, थाना-महकार, जिला-गयाजी, बिहार, पिन कोड-824233 (निबंधन सं०-MWRD1122C2IN2953, श्रेणी-II) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक- 776 /पटना, दिनांक- 25/05/2026

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग,/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल,/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल,एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
✓ आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

25/05/2026